

24.07.2019 :-

वकुलाय उपस्थित ।

मूल दीवानी प्रकरण में अप्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादीगण अस्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी/वादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब/प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. स्वीकार करते हुए वाद शीर्षक में लाल स्याही से वादी संख्या 1 श्रीमती भंवरीबाई के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। अतः उक्तानुसार इस अवमानना के प्रकरण में भी प्रार्थना पत्र शीर्षक में लाल स्याही से प्रार्थी संख्या 1 श्रीमती भंवरीबाई के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी एकपक्षीय दिनांक 28.08.2019 को पेश हो।